

राजस्थान सरकार
राजस्व ४ ग्रुप-6 ४ विभाग

प्रेषितः— रामस्त जिला कलेक्टर,
राजस्थान ।

क्रमांकः— प. ५४१६४राज-6/92/6

जयपुर, दिनांकः— 04. 05. 2000

—: परिपत्र :—

विषयः— कृषि भूमि के सह उत्तराधिकारी द्वारा दस्तबरदानी
४ रिलीज डीड ४ के माध्यम से क्लेम का त्याग एवं
नामान्तरण न करने बाबत् ।

खातेदार कृषक की मूल्य के परचात उसके उत्तराधिकारियों द्वारा अन्य
उत्तराधिकारियों के पक्षे रिलीज डीड के माध्यम से क्लेम का त्याग एवं नामान्तरण
के संबंध में इस विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प. ५४१६४राज-6/92/16 दिनांक
08. 09. 1993 के अनुसार विधवा अथवा पुत्रियां रिलीज डीड के माध्यम से अथवा हक
अन्य वारिसान के पक्ष में त्याग कर सकते थे एवं रिलीज डीड पेश करने पर
नामान्तरण स्वीकृत किया जा सकता था ।

अतः विधि विभाग के अनुसार उपरोक्त परिपत्र विधि सम्मत नहीं है ।
इस विभाग का उपरोक्त परिपत्र दिनांक 08. 09. 1993 को ऐदत्तद्वारा वापिस
लिया जाता है ।

7
मिल
४ पुढीपद्मब ४
राजस्व सचिव